विधानसभा आवश्यक

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 26(वि.स./सामान्य).स्था/आकाशि/2019/652 दिनांकः 22 जनवरी, 2020

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः 15वीं राजस्थान विधानसभा के चतुर्थ सत्र के दौरान बैठके आयोजित नहीं करवाने बाबत।
संदर्भः प्रमुख शासन सचिव, संसदीय कार्य विभाग, राजस्थान का पत्र कमांक प.17 (2)संसद/ 80 पार्ट दिनांकः 19.01.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रमुख शासन सचिव, संसदीय कार्य विभाग से प्राप्त्र परिपत्र संलग्न कर लेख है कि उक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(बाबू लाल गोयल)
अतिरिक्त आयुक्त,

क्रमांकः एफ 26(वि.स./सामान्य).स्था/आकाशि/2019/652 दिनांकः 22 जनवरी, 2020

प्रतिलिपिः वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कृपया आयुक्तालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

(डॉ. ताराचंद बैरवा)
विधानसभा प्रभारी

विधान सभा/अत्यावश्यक/
पन्द्रहवीं राजस्थान विधान सभा का
चतुर्थ सत्र

राजस्थान सरकार
संसदीय कार्य विभाग

क्रमांकःप0 17(2)संसद/80 पार्ट जयपुर, दिनांक : 19-01-2020

परिपत्र

पन्द्रहवीं राजस्थान विधान सभा का चतुर्थ सत्र, शुक्रवार, दिनांक 24 जनवरी, 2020 से प्रारम्भ हो रहा है। राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्यों को विभिन्न राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय/तहसील स्तरीय समितियों में सदस्यों के रूप में मनोनीत किया जाता है। राजस्थान विधान सभा सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व **माननीय विधान सभा अध्यक्ष के निर्देशानुसार संसदीय कार्य विभाग द्वारा एक परिपत्र जारी किया जाता है, जिसके द्वारा समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/सम्भागीय आयुक्त/विभागाध्यक्ष/ जिला कलेक्टर, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज, शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विशेष रूप से सत्रकाल के दौरान बैठकें नहीं करने के बारे में निवेदन किया जाता है।**

विधान सभा में सत्र के दौरान कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता रहा है कि सत्र के दौरान अधिकारीगण विभिन्न बैठकें आयोजित करते हैं जिसमें उनकी भागीदारी आवश्यक होती है और उक्त बैठकों में भाग लेने से माननीय सदस्य वंचित रह जाते हैं और यदि वे सदन की कार्यवाही में भाग लेते हैं तो जिला स्तरीय समिति में बिना उनकी सहभागिता के निर्णय ले लिए जाते हैं तथा अधिकारीगण संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी परिपत्र की पालना नहीं करते हैं ।

उक्त स्थिति को देखते हुए इस सम्बन्ध में पुनः निर्देश दिए जाते हैं कि विधान सभा सत्र काल के दौरान राज्य सरकार द्वारा गठित विभिन्न राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय/तहसील स्तरीय एवं अन्य समितियों, जिनमें माननीय सदस्यों को भाग लेना पड़ता है, की बैठकें आयोजित नहीं की जाए एवं विशेष परिस्थितिवश बैठक का आयोजन करना अतिआवश्यक हो तो माननीय सदस्यों की पूर्व सहमति लेवें। यदि भविष्य में बिना माननीय सदस्य की सहमति के बैठक बुलाई जावेगी तो वह माननीय सदस्य के विशेषाधिकार का हनन माना जावेगा और विधान सभा की विशेषाधिकार समिति उक्त दोषी अधिकारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कर सकती है।

कृपया परिपत्र में अंकित निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें एवं परिपत्र की प्राप्ति की सूचना भी इस विभाग को तुरन्त भिजवाई जावें।

19.1.2020
प्रमुख शासन सचिव

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मा0 मुख्य सचिव महोदय,राजस्थान,जयपुर ।
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव
3. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलेक्टरों सहित)
4. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान ।
5. **अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि जिनमें मा0 विधायकों की भागीदारी होती है, कृपया विश्वविद्यालय एवं अनुदानित विश्वविद्यालय में उपरोक्त परिपत्र के पालन के संबंध में आवश्यक निर्देश प्रसारित करने का श्रम करें ।**
6. **प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, कृपया उपरोक्त परिपत्र के पालन के सम्बन्ध में समस्त विकास प्राधिकरण/नगर निगम/नगर सुधार न्यास/नगर परिषद्/नगरपालिकाओं को निर्देश जारी करें ।**
7. अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि कृषि उपज मंडी समितियों जिनमें मा0 विधायकों की भागीदारी होती है, कृपया उपरोक्त परिपत्र के पालन के संबंध में आवश्यक निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें ।
8. **प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग,जिन समितियों में मा0 विधायकों की भागीदारी होती है,कृपया उपरोक्त परिपत्र के पालन सुनिश्चित करने का श्रम करें ।**
9. **शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जिन समितियों में मा0 विधायकों की भागीदारी होती है, कृपया उपरोक्त परिपत्र के पालन सुनिश्चित करने का श्रम करें ।**
10. **अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर । कृपया उपरोक्त परिपत्र के पालन के संबंध में समस्त पंचायत समितियों एवं जिला परिषद को निर्देश जारी करने का श्रम करें ।**
11. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री/ मंत्री, विधि एवं संसदीय कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
12. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
13. रक्षित पत्रावली ।

निम्न को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

14. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
15. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
16. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
17. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/खण्ड पीठ, जयपुर ।

19.01.2020
शासन उप सचिव